FAX/

संख्या–542 पी/छः–पु–6–16–300(4)/11

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 25 मई, 2016

बिषयः– उ0प्र0 में मानव तस्करी रोकने हेतु 11 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के गठन के परिप्रेक्ष्य में उक्त यूनिट्स को थाना घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–मसप्र/प–2–180/10, दिनांक 17–2–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (पुलिस) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 507/छः–पु–7–15–2(3)/2010 टीसी, दिनांक 23–3–2015 के द्वारा प्रदेश के 11 जनपदों (मुजफ्फर नगर, कुशीनगर, बाराबंकी, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई एवं श्रावस्ती) में एण्टी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिट की स्थापना के संबंध में संसाधनों हेतु श्री राज्यपाल द्वारा रू0 77,00,000/–(रू0 सतहत्तर लाख मात्र) की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदान की गयी है।

2– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–15020/08/2007 –एटीसी, दिनांक 16–6–2010 के साथ उपलब्ध करायी गयी योजना में स्थापित की गयी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाने के रूप में अधिसूचित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार का निर्णय निम्नवत् है :–

"The AHTU would be notified by the State Government as a Police for the entire district for registration and investigation of all cases Station relating to the crime of Human Trafficking which would be in addition to the other Police Station in the District."

3– अतः गृह (पुलिस) अनुभाग–7 के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23–3–2015 के निर्गतोपरान्त प्रदेश के 11 जनपदों **(मुजफ्फर नगर, कुशीनगर, बाराबंकी, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई एवं श्रावस्ती)** में एण्टी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिट को थाने के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– उपर्युक्त थानों में अपराधों का पंजीकरण, उनकी विवेचना एवं तद्नुसरण में अग्रतर वांछित वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जनपद होगा।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या–542 (1)पी/छः–पु–6–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12/मानवाधिकार अनुभाग।
4– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–15011/06/2009–एटीसी, दिनांक 22–2–2010 के संदर्भ में।
5– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
6– गृह (पुलिस) अनुभाग–7/15
7– विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0एल0 वर्मा)
अनु सचिव।

AD GO